

तहसीलदार उदयपुरवादी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही  
 की गई है। कोर्ट की रवातेदार राश्वकी म रास्ते को  
 अपनी मन मर्जी के अनुसार गद्दी बदल मकारा है  
 अगर वर्तमान रापस्व नक्शा हेम में वादी ने चाहे  
 अनुकार बदलाव किया जाय है तो पड़ोसी रवातेदार  
 प्रभावित हो सकते है तथा उनको रास्ते की समस्या  
 उत्पन्न हो सकती है तथा इनो वश्य विवाद एवं मुकदमा  
 वादी बदले की संभावना उत्पन्न हो सकती है। तहसीलदार  
 उदयपुरवादी के अनुसार वर्तमान रापस्व नक्शा हेम  
 में जो रास्ता दर्शाया गया है उसको यथावत रखा  
 जाना उचित है।

उक्त विवेचन से वादीगण को वादपत्र  
 साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से इसी  
 स्तर पर रवारिण किया जाया है। अगर वर्तमान  
 नक्शा हेम में अंकित रास्ते पर अतिक्रमण है  
 तो तहसीलदार निम्नानुसार कार्यवाही कर  
 अतिक्रमण हटाने के लिए स्वहंत्र है।

परमवली जंक्शन शुगर हो कर नम्बर 2 के काम  
 हो तथा दारिद्विण स्तर हो।

दिनांक 29-6-18 को कार्य को  
 शुद्धावली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवादी (शुद्धावली)